FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0046 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/02/2026 15:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/09/2010 **Date To (दिनांक तक):** 28/05/2013

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/02/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/02/2026 15:09:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 340 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHYAT SATKHANDA, PANCHYAT SAMITI NIMBAHERA, JILA CHITTORGAH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAIRU LAL RAIGAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DALLICHAND RAIGAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SATKHANDA WARD NO.01, NIMBAHERA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SATKHANDA WARD NO.01, NIMBAHERA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHEELA SURANA		पति:SUNIL SURANA	1. SATKHANDA,NIMBAHERA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	GHANSHYAM SINGH		पिता:FAOJ SINGH	1. TEJAJI KE MANDIR KE PASS,KUMBHANAGAR,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	अनुमानित 57 लाख रूपये	57,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 57,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, मामला हाजा इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री भैरू लाल पुत्र श्री दल्लीचन्द रेगर उम्र 30 साल निवासी ग्राम सतखण्डा वार्ड नं. 01 तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ ने ब्यूरो पर एक शिकायत प्रेषित की थी। जिसमें अंकित बिन्दु निम्न प्रकार है-

1. गांव सतखण्डा की 20 बीघा चारागाह भुमि को गलत तरीके से भुखण्ड आवंटित कर 57 लाख रूपयों का राजस्व नुकसान तत्कालीन सरपंच शीला सुराणा, विकास अधिकारी व सचिव आदि ने मिलकर किया और जांच में दोषी पाए गए है । दिनांक 13.05.2019 को पंचायत समिति निम्बाहेड़ा ने जिला कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट पेश की लेकिन जिला कलेक्टर ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोर्ट कार्यवाही नहीं की है । आराजी नं0 920/1565 व नवीन नम्बर 838 रकबा 5.6 हैक्टेयर पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा की है।

2. इस जमीन से तत्कालीन सरपंच शीला सुराणा विकास अधिकारी के जिसमें बड़ें अधिकारियों के संरक्षण ने पुरी 20 बीघा जमीन के निः शुल्क व रियायती दर के पट्टे अपात्र लोगो को जारी किए गए तथा रजिस्ट्रार निम्बाहेड़ा द्वारा इन कुटरचित की गई पट्टो की रजिस्ट्री की गई । जबकि सरकार द्वारा निःशुल्क व रिहायती दर के पट्टो, मकान नही, विक्रय निषेध है ।

3. इसी कड़ी में एक पट्टा संख्या 51 पुस्तक 254 को गावं सतखण्डा से ही मृत व्यक्ति भंवर लाल पिता मांगी लाल ढोली जिसकी मृत्यु दिनांक 20.04.2012 को होने के उपरान्त दिनांक 20.03.2013 को ग्राम पंचायत सतखण्डा ने रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया तथा इसी पट्टे को उप पंजीयक कार्यालय निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 28.05.2013 को भीलवाड़ा जिले के व्यक्ति द्वारा मिली भगत से भादसोड़ा गांव सुरेन्द्र कुमार पिता रोशन लाल नाहर जाति जैन को 80 हजार रूपयें में बेच दिया जिसकी बाजार कीमत लगभग 3 लाख थी।

4. पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.2018 को पत्र क्रमांक 4/सनि/प्र.अ./2017-18/2355 दिनांक 02.04.2018 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा को परिवाद पत्र देकर कार्यवाही करने बाबत् किया लेकिन जिला प्रशासन के दबाव से अभी तक कार्यवाही नहीं की गई।

5. चरागाह भुमि गलत तरीके से पंचायत ने आवंटित कर दी जिसकी वर्तमान में भी तरमीम नहीं है तथा यह जमीन निम्बाहेड़ा चित्तौडगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 79 वे लगी होकर आवासिय/वाणिज्यिक कीमत करोड़ो रू कीमत की है । भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन उक्त जांच रिपोर्ट में दबा रहे है जबकि जांच में साफ आया है कि पंचायत व राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से राजकी जमीन खुर्द-बुर्द की गई है ।

6. प्रार्थी द्वारा राजस्थान इकाई जोधपुर में जनहित याचिका भी लगा रखी है जिसके लिए जिला प्रशासन सहयोग नही करके दोषियों को बचाने में लगा हुआ है तथा मामला ठण्ड़े बस्ते में डाल रखा है ।

7. यह कि इसी जमीन दो निःशुल्क व रियायती दर में पट्टे मगनी राम डांगी ने 60,000/- व 68,000/- रू. में खरीदें जिनकी रजिस्ट्री संलग्न है ऐसे कई पट्टों की रजिस्ट्रीयां उप पंजियक निम्बाहेड़ा ने नियम के विरूद्ध की ही है जबकि निः शुल्क व रियायती दर व पट्टों की रजिस्ट्री व विक्रय राज्य सरकार द्वारा निषेध है ।

उपरोक्त आरोपो के संबंध में परिवाद संख्या 360/2019 दर्ज किया जाकर अग्रिम जांच हेतु ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ प्राप्त हुआ। उक्त आरोपो के संबंध में जांच कर सत्यापन किया गया तो पाया गया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ ने अपने पत्रांक 595 दिनांक 04.12.2020 के संलग्न जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रेषित की। पाया गया कि जॉच कमेटी के सदस्य श्री कैलाश चन्द्र भराड़िया, सहायक लेखाधिकारी(प्रथम), पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं श्री प्रदीप गंगवानी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं श्री गणेश लाल शर्मा, तत्कालीन पंचायत

प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा (हाल सेवानिवृत्त) ने विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ के पत्रांक पसनि/पंचायत/जांच ग्रा0पं0 सतखण्डा/2018/16 दिनांक 06.11.2018 द्वारा जॉच करने के निर्देश प्रदान करने पर श्रीमान् जिला कलक्टर चित्तोड़गढ़ के आदेश क्रमांक विधि/16-5 (सी) (2)/2018/693 दिनांक 14.10.2018 के अनुसार सिविल याचिका संख्यां 11614/2018 उनवान भैरू लाल रेगर बनाम राज्य सरकार में ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा आबादी भूमि खसरा नं. 838 (पुराना खसरा नं0 920/1565) 5.06 हेक्टर अनुमानित 20 बीघा में अपात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने सम्बन्धित प्रकरण की जॉच गई। श्री कैलाश चन्द्र भराड़िया, सहायक लेखाधिकारी(प्रथम), पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं श्री प्रदीप गंगवानी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं श्री गणेश लाल शर्मा, तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा (हाल सेवानिवृत्त) ने उपरोक्त याचिका में अंकित व्यक्तियों को जारी निःशुल्क एवं रियायती पट्टों से सम्बन्धित मिसल एवं ग्राम पंचायत सतखण्डा के रिकार्ड अनुसार जॉच कर जॉच से पाया कि-

शिड्यूल ''ए''

1-श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री शंभू लाल सुथार, जारी रियायती दर पट्टा संख्या 1 दिनांक 22.9.10 ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा पत्रावली सं. 83 दायर दिनांक 22.9.10 निर्मित की गई । पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रार्थी को बीपीएल परिवार मानते हुए रियायती दर पर पट्टा सं. 01 दिनांक 22.09.2010 बुक सं. 24 से जारी किया गया है । जबकि बीपीएल सूचि में प्रार्थी का नाम दर्ज नही है । तथा प्रार्थी के बयान के आधार पर प्रार्थी वर्तमान में अपने पुश्तेनी मकान में निवास कर रहा है तथा जारी किये गये पट्टे के भूखण्ड पर केवल दिवार बनाकर कब्जा कर रखा है । कोई मकान का निर्माण नही किया गया है । पंचायत द्वारा रियायती दर पर जारी पट्टे की पात्रता की जांच नही की गई है ।

2-हीरा लाल/ किशना गमेती नि. सतखण्डा जारी रियायती दर पट्टा संख्या 2 दिनांक 27.11.2010 पत्रावली सं. 84 दायर दिनांक 22.09.2010 फेसल दिनांक 27.11.10 प्रार्थी के बीपीएल परिवार का सदस्य होकर चयन क्रमांक 8093 है व एसटी का सदस्य है । प्रार्थी के नाम से पट्टा संख्या 2 जारी दिनांक 22.9.10 बुक संख्या 24 है । प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी की पत्नी चांदी बाई बेवा हीरा लाल भील है । प्रार्थीया ने अपने बयान में बताया कि इनके पति की मृत्यु दिनांक 5.11.18 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया ने अपने पुष्तेनी मकान में अपने पुत्र के साथ ही रहती है तथा उक्त पट्टे के संबंध में कोई जानकारी नही है तथा न ही कोई कब्जा है । पट्टा दिनांक 22.9.10 को जारी है, जबकि फैसल दिनांक 22.11.2010 है । पत्रावली अनुसार पात्रता की जांच नही की गई है।

3-1-देवी लाल/नारायण लाल वर्मा(रेगर) सतखण्डा निषुल्क पट्टा संख्या 3 दिनांक 22.9.10

2-दाखी बाई/नन्दा रेगर निः शुल्क पट्टा संख्या 4 दिनांक 22.9.10

3- किशना बाई/रोड़ी राम बंजारा निः शुल्क पट्टा संख्या 5 दिनांक 22.9.10

उपरोक्त व्यक्तियों को निः शुल्क पट्टा संख्या 3, 4, 5 जारी दिनांक 22.9.10 बुक संख्या 24 से जारी किये गये है । उपरोक्त 3 व्यक्तियों को एक ही पत्रावली सं. 6 दायर दिनांक 20.09.2010 फेसल दिनांक 22.11.2010 तैयार की गई है । प्रार्थीयों द्वारा अपने जारी पट्टो के संबंध में दिये गये बयानो के अनुसार श्री देवी लाल रेगर द्वारा बताया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त जारी पट्टे पर पत्थर खण्डे डालकर कब्जा कर रखा है लेकिन कोई निर्माण नही किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा सतखण्डा में पूर्व में खरीदे भूखण्ड पर मकान बना कर निवास करता है । प्रार्थी का बीपीएल चयन क्रमांक 8068 है पात्रता की जांच नही की गई है ।

4-दाखी बाई /नन्दा रेगर पट्टा संख्या 4 दिनांक 22.09.10, इनके द्वारा दिये बयान में बताया कि इनके द्वारा जारी पट्टे संबंधित भूखण्ड पर पत्थर डालकर कब्जा कर रखा है, लेकिन कोई निर्माण नही किया गया है तथा पूर्व में गांव में बने पुष्तेनी मकान में निवास कर रही है तथा उक्त मकान पूर्व में इन्दिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत हुआ है । प्रार्थीया बीपीएल है । चयन क्रमांक 8061 है । पात्रता की जांच नही की गई है।

5- किशन बाई/रोड़ीराम बंजारा पट्टा संख्या 5 दिनांक 22.09.10, पंचायत द्वारा कमला बाई/रोड़ीराम बंजारा सतखण्डा के नाम से भूखण्ड का पट्टा संख्या 5 दिनांक 22.09.10 बुक संख्या 24 से जारी किया गया है । किशन बाई के बीपीएल चयन क्रमांक 8089 है । प्रार्थीया के बयान अनुसार प्रार्थीया के पति की मृत्यु होने से वर्तमान में पिलुखेड़ा पं0स0 प्रतापगढ़ में निवास करती है तथा भूखण्ड की जानकारी नही है न ही कब्जा है । भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता की जांच नही की गई है ।

6-मोहन लाल प्रथा जटिया नि0 मेहमुदगंज पट्टा संख्या 46 दिनांक 22.11.10, ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 80 दायर दिनांक 22.9.10 फैसल दिनांक 22.11.10 है । पट्टा संख्या 46 बुक सं0 2 जारी दिनांक 22.11.10 है प्रार्थी बीपीएल परिवार से होकर चयन क्रमांक 8123 है प्रार्थी को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया । राशि 1350/रं.स.99 दिनांक 22.11.10 जमा कर रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 21/22.11.10 पर जमा लिये गये है । प्रार्थी के बयान अनुसार उन्हें भूखण्ड का कब्जा नही दिया गया है । प्रार्थी को पोखर पिता प्यार चन्द डांगी नि0 सतखण्डा द्वारा

रू0 10000/- दिये गये तथा प्लाट का पट्टा नही दिया गया है। प्रार्थी ने पूर्व में इन्दिरा आवास योजना में निर्मित मकान में निवास करना बताया । प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन से पूर्व पात्रता की जांच नही की गई है ।

7- मोहन लाल/सूरजमल डांगी नि0 सतखण्डा रियायती दर पट्टा संख्या 47 दिनांक 22.11.10, पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 81 दायर दिनांक 22.9.10 फैसल 22.11.10 पट्टा संख्या 47 बुक सं. 2 जारी दिनांक 22.11.10 है प्रार्थी बीपीएल परिवार से होकर च0क्र08066 है प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत दिया गया है । रियायती दर रू0 1350/-र.स.100 दिनांक 22.11.10 से जमा लिये जो रोकड़ बही के पृष्ठ सं. 21 दिनांक 22.11.10 पर दर्ज है । प्रार्थी द्वारा जारी पट्टा अनुसार भूखण्ड पर पत्थर (खण्डे) डाल रखे है तथा वर्तमान में गांव सतखण्डा में बने पुश्तैनी मकान में निवास करता है । प्रार्थी को भूखण्ड़ आवंटन से पूर्व पात्रता की जांच नही की गई है ।

8-भैरू लाल/बालु चमार नि0 सतखण्डा, ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 82 दायर दिनांक 22.9.10 फैसल दिनांक 22.11.10 पट्टा संख्यां 48 बुक सं. 2 जारी दिनांक 22.11.10 है रियायती दर राशि 1350 रं.सं. 01 दिनांक 22.11.10 रो.पृ.सं. 21/22.11.10 प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जारी बीपीएल क्रमांक 8094 है। पत्रावली अनुसार प्रार्थी के पात्रता की जॉच नहीं की गई।

'' शिड्यूल -बी''

ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं0 37 दायर दिनांक 5.9.2011 फैसल दिनांक 5.12.2011 है उक्त पत्रावली कुल 37 व्यक्तियों की एक ही पत्रावली दायर की गई है, पत्रावली में सभी व्यक्तियों के आवेदन संलग्न है पत्रावली अनुसार सभी व्यक्तियों को आ0न0 920/1565 रकबा 20 बीघा में बनाये गये नक्षे अनुसार पट्टे रियायती दर पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है लेकिन किसी भी व्यक्ति की पात्रता की जांच नही की गई है । पत्रावली अनुसार निम्न व्यक्तियों को रियायती दर पर पट्टे जारी किये गये । पट्टो की सूचि इस प्रकार है।

क्र0स0 नाम/पिता, पति का नाम निवासी पत्रावली संख्या जारी पट्टा संख्या बुक सं. रो.पृ.सं. र0सं0

1 पप्पू लाल/शंभू लाल कुम्हार सतखण्डा 37/5.9.11 3/5.12.11 254 38/5.12.11 67/5.12.11
2 कमलेश/हीरा लाल मेघवाल सतखण्डा 37/5.9.11 4/5.12.11 254 38/5.12.11 63/5.12.11
3 दलीचन्द/हेमा डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 5/5.12.11 254 38/5.12.11 64/5.12.11
4 कमलेश/गंगाराम डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 9/5.12.11 254 38/5.12.11 68/5.12.11
5 खेमराज/दौलतराम कुम्हार सतखण्डा 37/5.9.11 10/5.12.11 254 38/5.12.11 69/5.12.11
6 कमलीबाई/षान्ति लाल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 12/5.12.11 254 38/5.12.11 71/5.12.11
7 डालचन्द/भीमा डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 12/5.12.11 254 38/5.12.11 72/5.12.11
8 बदाम बाई/हीरा लाल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 16/5.12.11 254 38/5.12.11 75/5.12.11
9 शान्ति बाई/गंगाराम डांगी (शान्ति बाई/जयराम डांगी के नाम पट्टा) सतखण्डा 37/5.9.11 17/5.12.11 254 38/5.12.11 76/5.12.11
10 कृष्णा बाई/राजमल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 18/5.12.11 254 38/5.12.11 77/5.12.11
11 लीला बाई/लक्ष्मीराम डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 19/5.12.11 254 38/5.12.11 78/5.12.11
12 सुरेशी बाई/ रमेश चन्द्र डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 24/5.12.11 254 38/5.12.11 83/5.12.11
13 शान्ति बाई डांगी/प्रभु लाल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 25/5.12.11 254 38/5.12.11 84/5.12.11
14 आजाद खां/सत्तार खां सतखण्डा 37/5.9.11 26/5.12.11 254 38/5.12.11 85/5.12.11
15 रूकसाना/रईस खां सतखण्डा 37/5.9.11 27/5.12.11 254 38/5.12.11 86/5.12.11
16 असरफखा/बाबूखां सतखण्डा 37/5.9.11 28/5.12.11 254 38/5.12.11 87/5.12.11
17 महेश कुमार/माधाव लाल राव सतखण्डा 37/5.9.11 29/5.12.11 254 38/5.12.11 88/5.12.11
18 कमला शंकर/राम लाल राव सतखण्डा 37/5.9.11 30/5.12.11 254 38/5.12.11 89/5.12.11
19 सत्यनारायण/राम लाल राव (सत्यनारायण/उंकार लोहार) सतखण्डा 37/5.9.11 31/5.12.11 254 38/5.12.11 90/5.12.11
20 सुरेश चन्द्र/ गणेश लाल राव सतखण्डा 37/5.9.11 32/5.12.11 254 38/5.12.11 91/5.12.11
21 रतन लाल/अमरसिंह रावत सतखण्डा 37/5.9.11 33/5.12.11 254 38/5.12.11 92/5.12.11
22 रूपी बाई/रूप लाल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 35/5.12.11 254 38/5.12.11 94/5.12.11
23 नारायण लाल/नानुराम कुम्हार (नारायण/अमरा लोहार पट्टा एवं पत्रावली अनुसार) सतखण्डा 37/5.9.11 34/5.12.11 254 38/5.12.11 93/5.12.11
24 इन्द्रा बाई/बद्री लाल कुम्हार (इन्द्राबाई/भैरू लाल कुम्हार पट्टा एवं पत्रावली अनुसार) सतखण्डा 37/5.9.11 36/5.12.11 254 38/5.12.11 95/5.12.11
25 चुन्नीबाई/भूरा लाल डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 38/5.12.11 254 38/5.12.11 97/5.12.11

26 कवल चन्द/ प्यार चन्द डांगी सतखण्डा 37/5.9.11 39/5.12.11 254 38/5.12.11 98/5.12.11

उपरोक्तानुसार 26 भूखण्ड के पट्टे रियायती दर पर पत्रावली दायर की जाकर फैसल दिनांक 5.12.2011 है पत्रावली के अनुसार रियायती दर की पात्रता की जांच नही की गई है व जारी पट्टो संबंधित भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मकान बनाया जाकर निवास नही किया जा रहा है। क्र0सं0 9 पर दर्ज नाम शान्ति बाई/गंगाराम डांगी है जबकि पत्रावली में शान्तिबाई/जयराम डांगी है तथा पट्टा भी इसी नाम से जारी कियागया हे। क्र.सं. 19 पर सत्यनारायण /राम लाल राव है जबकि पत्रावली व पट्टा सत्यनारायण /उकार लाल राव के नाम से है। क्र.सं. 23 पर नारायण लाल/नानुराम कुम्हार दर्ज है लेकिन पत्रावली नारायण लाल पिता अमरा लोहार के नाम दर्ज होकर पट्टा भी इसी नाम से जारी है। क्र0सं0 24 पर इन्द्राबाई/बद्री लाल कुम्हार है लेकिन पत्रावली व पट्टा इन्द्रा बाई/भैरू लाल कुम्हार के नाम से पट्टा जारी किया गया है तथा इसी प्रकार राशि जमा है। 20- मोती लाल पिता मांगी लाल सेन नि0 सतखण्डा- निः शुल्क, ग्राम पंचायत द्वारा मोती लाल पिता मांगी लाल सेन नि0 सतखण्डा के नाम से निः शुल्क पट्टा सं0 20 जारी दिनांक 5.12.11 बुक संख्या 24 है प्रार्थी की पत्नी श्रीमती कमला बाई बेवा मोती लाल सेन द्वारा दिये गये बयान में बताया कि इनके पति की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उक्त जारी पट्टा संबंधित भूखण्ड पर खण्डे पत्थर डाल रखे है किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया है तथा प्रार्थीया अपने जाईन्दा तीन पुत्रो के साथ सतखण्डा में बने पुराने पुश्तैनी मकान में निवास करती हे। उक्त जारी पट्टे की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। प्रार्थी मोती लालसेन बीपीएल परिवार से होकर चयन क्रमांक 8055 है प्रार्थीया के बयानो के आधार पर निः शुल्क की पात्रता की जांच नही की गई है।

'' शिड्यूल-सी''

ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा पत्रावली सं0 (36 से 46) दायर दिनांक 5.1.2013 से फैसल दिनांक 9.2.2013 के अनुसार कुल 11 व्यक्तियों की एक ही पत्रावली दायर की गई है, तथा निः शुल्क पट्टे निम्नानुसार जारी किये जिनकी सूचि इस प्रकार हैः-

क्र.सं. नाम/पिता, पति का नाम निवासी पट्टा सं./ दिनांक बुक संख्या वि0वि0
1 बालुराम /पन्ना लाल गांडी लोहार सतखण्डा 43/9.2.13 24 67/5.12.11
2 पप्पू लाल /कालुराम गाड़ी लोहार सतखण्डा 35/9.2.13 24 बीपीएल क्रमांक 8060
3 दौलतराम/कालुराम गाड़ी लोहार सतखण्डा 36/9.2.13 24 -
4 मांगी लाल/कालूराम गाड़ी लोहार सतखण्डा 37/9.2.13 24 -
5 टीका लाल/कालूराम गाड़ी लोहार सतखण्डा 38/9.2.13 24 -
6 रमेष चन्द्र/मूला गाड़ी लोहार सतखण्डा 39/9.2.13 24 -
7 भंवर लाल/मूला गाड़ी लोहार सतखण्डा 40/9.2.13 24 -
8 भैरू लाल/फूला गाड़ी लोहार सतखण्डा 41/9.2.13 24 -
9 बपू लाल/फूला गाड़ी लोहार सतखण्डा 42/9.2.13 24 -
10 मांगी लाल/रतन लाल गाड़ी लोहार सतखण्डा 44/9.2.13 24 -
11 राधाकिशन/रामा गाड़ी लोहार सतखण्डा 45/9.2.13 24 -

उपरोक्तानुसार गाड़ी लोहारो परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्ड एवं पट्टे की जमीन पर नही रहकर मुख्य संड़क निम्बाहेड़ा चित्तौडगढ़ रोड़ के पास त्रिपाल व कच्ची झोपड़िया बना कर रह रहे है तथा पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नही कराया गया है तथा पत्रावली अनुसार फैसल दिनांक 9.2.13 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 के तहत ग्राम सभा बैठक में निर्णय अनुसार जारी किये गये है जबकि ग्राम पंचायत बैठक में ऐसा कोई निर्णय नही है पत्रावली अनुसार भूखण्ड निः शुल्क आंवटन की पात्रता संबंधित कोई जांच नही की गई है।

(47)ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा पत्रावली सं. 5 दायर दिनांक 5.1.2013 से फैसल दिनांक 9.2.2013 बनाई जाकर निः शुल्क पट्टे जारी निम्नानुसार जारी किये गये जो इस प्रकार है-

क्र.सं. नाम/पिता, पति का नाम निवासी पत्रावली संख्या बुक संख्या पट्टा संख्या वि0वि0
1 बसन्ती बाई/रूप लाल कुम्हार सतखण्डा 5/5.1.13 24 46/9.2.13 BPL-8118
2 मांगी बाई/शंकर नाथ सतखण्डा 5/5.1.13 24 47/9.2.13 BPL-8079
3 बामणी बाई/दुर्गा बंजारा सतखण्डा 5/5.1.13 24 48/9.2.13 BPL-8073
4 उदय लाल/राम लाल डांगी सतखण्डा 5/5.1.13 24 49/9.2.13 BPL-8111
5 गीता बाई /दली चन्द बंजारा सतखण्डा 5/5.1.13 24 50/9.2.13 BPL-8090

उपरोक्तानुसार निः शुल्क पट्टाधारियों के बयान लिए गये जिसमें बताया कि वह अपने पिता के साथ पुश्तैनी मकान में निवास

कर रहे है तथा जारी पट्टे के भूखण्डो पर खण्डे पत्थर डाल रखे है कोई पक्का निर्माण नही किया गया। क्र0स0 सं. 5 पर गीता बाई/ दली चन्द बंजारा ने अपने बयान में बताया कि वह गांव सतखण्डा में पहले स्वयं के नाम से स्वीकृत इन्दिरा आवास मकान में निवास कर रही है तथा मेरे नाम से जारी पट्टे की जानकारी नही है तथा न ही कब्जा कर रखा है उक्त जारी निः शुल्क पट्टो की पात्रता की जांच नही की गई है।

(52 से 71 तक) ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन पत्रावली सं0 1 दायर दिनांक 9.2.2013 फैसल दिनांक 20.3.2013 के अनुसार निम्न व्यक्तियों को रियायती दर पर बुक सं. 254 से 20 पट्टे जारी किये गये जिनका शुल्क जमा कर रसीद जारी की गई जो रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 62 दिनांक 20.03.2013 पर जमा है -

क्र.सं. नाम/पिता, पति का नाम निवासी पट्टा संख्या /दिनांक बुक संख्या रसीद संख्या /दिनांक वि0वि0

1 भैरू लाल/राम लाल कुम्हार सतखण्डा 41/20.3.13 254 1/20.3.13
2 संजय कुमार / नारू लाल नायक सतखण्डा 42/20.3.13 254 2/20.3.13
3 सोहन लाल /लक्ष्मण डांगी सतखण्डा 43/20.3.13 254 3/20.3.13
4 जमना लाल /गोपाल डांगी सतखण्डा 44/20.3.13 254 4/20.3.13
5 उदय लाल/ वरदा डांगी सतखण्डा 45/20.3.13 254 5/20.3.13
6 भगवती लाल/मांगी लाल सालवी सतखण्डा 46/20.3.13 254 6/20.3.13
7 कन्हैया लाल/छोगा डांगी सतखण्डा 47/20.3.13 254 7/20.3.13
8 सुरेश कुम्हार / रतन लाल सतखण्डा 48/20.3.13 254 8/20.3.13
9 दल्लु बाई/पोखर डांगी सतखण्डा 49/20.3.13 254 9/20.3.13
10 शान्ति बाई/ पोखर डांगी सतखण्डा 50/20.3.13 254 10/20.3.13
11 रतन लाल/लालचन्द डांगी (पत्रावली रतन लाल /बालचन्द डांगी के नाम पट्टा) सतखण्डा 52/20.3.13 254 12/20.3.13
12 नारायणलाल/मांगी लाल भील सतखण्डा 53/20.3.13 254 13/20.3.13
13 रतन लाल/ धन्ना डांगी सतखण्डा 54/20.3.13 254 14/20.3.13
14 सुनिता/ नारायण डांगी सतखण्डा 56/20.3.13 254 16/20.3.13
15 मांगी बाई/हीरा लाल डांगी सतखण्डा 57/20.3.13 254 17/20.3.13
16 नारायण लाल /भगवान लाल डांगी सतखण्डा 58/20.3.13 254 18/20.3.13
17 अम्बा लाल/नारायण मेझावाल सतखण्डा 59/20.3.13 254 19/20.3.13
18 मदन लाल/केला रेगर सतखण्डा 60/20.3.13 254 20/20.3.13
19 भवर लाल/मांगी लाल ढोली सतखण्डा 51/20.3.13 254 11/20.3.13
20 केशुराम/गुलाब रेगर सतखण्डा 55/20.3.13 254 15/20.3.13

उपरोक्तानुसार क्र.सं. 1 से 20 तक सभी व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किय गये है। सभी व्यक्तियों द्वारा दिये गये अपने बयानों में बताया गया कि उक्त पट्टे संबंधित भूखण्डो पर खण्डे पत्थर डाल कर तथा कच्ची-पक्की बाउन्ड्री बना रखी है तथा वर्तमान में सभी व्यक्ति अपने गांव में बने पुश्तैनी मकानों में निवास करते है। पत्रावली अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा इनके रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच नही की गई है तथा सभी व्यक्तियों की एक ही पत्रावली सं0 1 दायर कर कार्यवाही की गई है।

जांच के दौरान ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार यह भी पाया गया कि निम्न पट्टाधारी के रिश्तेदार सेवारत कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी/ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि वार्ड पंच होने के पष्चात् भी इन्हे निः शुल्क/रियायती दर के भूखण्ड आवंटन किये गये है-

क्र. सं. नाम आवंटी पट्टा संख्या /दिनांक रिश्तेदार का विवरण वि0वि0

1 महेश कुमार/माधव लाल राव 29/5.12.2011 पिता श्री माधव लाल सेवानिवृत्त अध्यापक थे।
2 आजाद खां/सत्तार खां 26/5.12.2011 पिता आजाद खां राजस्थान पुलिस में कार्यरत है।
3 पप्पु लाल/शंभू लाल कुम्हार 04/5.12.2011 माता श्रीमती शांती बाई तत्कालीन समय में वार्ड पंच पद पर निर्वाचित थी।
4 रूकसाना/रईस खान 28/5.12.2011 ससुर सरकारी अध्यापक थे।
5 राधा किशन/रामा गाड़ी लुहार 45/9.2.2013 30.08.2013 से पुर्व के निवास का वैध दस्तावेज प्रार्थी के पास उपलब्ध नही
6 श्री घीसा लाल /भीमा रेगर 38/26.08.2010 पिता पुत्र दोनो को रियायती दर व निः शुल्क भुखण्ड आवंटन किये गये।
7 श्री भवर लाल/घीसा रेगर 06/22.09.2010

जांच के दौरान श्री भंवर लाल पिता मांगी लाल ढोली के नाम मृत्यु होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 51 दिनांक 20.03.2013 जारी करने के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि प्रकरण की जांच पूर्व में पचायत समिति निम्बाहेड़ा के पत्र क्रमांक 1507 दिनांक 06.06.2017 से कार्यालय के पंचायत प्रसार अधिकारी से करवाई गई। संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक पसनि/जांच/2017/411 दिनांक 14.07.2017 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार पाया गया कि प्रार्थी के नाम कोई मिशल कायम नही की गई। प्रार्थी की मृत्यु दिनांक 20.04.2012 को होने के बाद पट्टा संख्या 51 दिनांक 20.03.2013 से राषि 1460/- जमा लिये जाकर पट्टा जारी किया गया है। जो गलत एवं नियमों के विपरित है।

1-दायर प्रकरण अनुसार उपरोक्त सभी भूखण्ड के पट्टे रियायती दर एवं निः शुल्क जारी किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा निः शुल्क एवं रियायती दर पर जारी किये जाने वाले पट्टे की पात्रता की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिये थी, जो नही की गई है।

2-भूखण्ड आवंटन में प्रति भूखण्ड आवंटन हेतु पत्रावली बनाई जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए जिसका अभाव पाया जाकर संयुक्त रूप से पत्रावलिया बनाई गई है।

3-भूखण्ड आवंटन ग्राम पंचायत कोरम द्वारा जांच निर्णय अनुसार किया जाना चाहिये जबकि कुछ पत्रावलियों का निर्णय ग्राम सभा बैठक में लिया गया है।

4-ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सभी भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी आराजी नं0838 रकबा 5.05 हैक्टर में किया गया है। भूखण्ड आंवटन का बल्यू प्रिन्ट नक्शा (प्लान) बनाया गया है। लेकिन नक्शा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नही है।

इस प्रकार जॉच कमेटी ने जॉच रिपोर्ट तैयार की गई जिसका सारांश इस प्रकार पाया गया कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं संबंधित व्यक्तियों के बयानो के आधार पर ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा पंचायती राज नियमो के विरूद्ध बिना नक्शा अनुमोदन कराये बिना व सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारो एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निः शुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये है। प्लान अनुसार अंकित आराजी में कोई भी भूखण्ड निलामी से विक्रय नही किये गये है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 141 के अनुसार "भूमि का विक्रय किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के माध्यम से किये जायेंगे जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हो।" के निर्देश है किन्तु तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा नियमो से परे जाकर सभी भूखण्ड निःषुल्क एवं रियायती दर पर दिये गये है। जबकि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा निलाम किये जाते तो ग्राम पंचायत को उस समय की जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी द्वारा अनुमोदित आवासीय दरो अनुसार अनुमानित 57 लाख रूपये की आय हो सकती थी। जिससे ग्राम पंचायत को अनुमानित 57 लाख रूपये की राजस्व की हानि हुई है।

इसी प्रकार उपरोक्त परिवाद की जॉच में शिकायतकर्ता श्री भैरू लाल पुत्र श्री दल्लीचन्द रेगर उम्र 30 साल निवासी ग्राम सतखण्डा वार्ड नं. 01 तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ के कथन अंकित किए गए जो इस प्रकार है कि "मैं ग्राम सतखण्डा का रहने वाला हूं। मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा हूं। मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूं। आप मुझे आपके कार्यालय की परिवाद संख्यां 360/2019 की पत्रावली दिखा रहे हैं, इसमें श्रीमान् डी.जी.पी. साहब, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राजस्थान के नाम ग्राम पंचायत में किया गया भारी भरकम भ्रष्टाचार करने की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु एक शिकायत की फोटो प्रति मय दस्तावेजात् की फोटो प्रतियों के लगा हुआ है। उक्त शिकायत मेरे द्वारा श्रीमति शीला सुराणा, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ व अन्य के विरूद्ध की थी जिसको मैंने जरिये डाक आपके मुख्यालय भिजवाई थी। उक्त शिकायत में प्रार्थी के रूप में अंकित किए हुए हस्ताक्षर मेरे ही है। उक्त शिकायत में मेरे द्वारा अंकित कराये गये आरोपों का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सतखण्डा की तत्कालीन सरपंच श्रीमति शीला सुराणा व तत्कालीन सचिव श्री घनश्याम सिंह द्वारा गलत तरीके से ग्राम पंचायत सतखण्डा की आराजी नं. 920/1565 व नवीन नम्बर 838 रकबा 5.6 हेक्टर चरागाह भूमि के निःशुल्क एवं रियायती दर अपात्र लोगों को पट्टे आवंटित किए गए जिसमें तत्कालीन विकास अधिकारी श्री विनीत शर्मा भी शामिल है तथा उक्त पट्टों की तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध रजिस्ट्रियां भी कर दी गई। उक्त अनियमितताओं के संबंध में मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जनहित याचिका एस0बी0 सिविल रिट संख्यां 11614/2018 दायर की थी। उक्त याचिका का निस्तारण हो चुका है जिसके आदेश में माननीय हाईकोर्ट ने प्रशासन को उक्त फर्जी पट्टों के संबंध में कानूनी कार्यवाही करने हेतु कहा गया था। इसके बाद ही प्रशासन द्वारा उक्त शिकायत के आरोपों के सम्बन्ध में जॉच करवाई गई। जिस पर मैंने उक्त याचिका के निर्देशानुसार की गई जांच की प्रमाणित प्रति लेने हेतु सूचना के अधिकार के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ के नाम आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक पसनि/पंचायत/सूचना का अधि./2019/131 दिनांक

13.05.2019 से सूचना प्राप्त करने हेतु कहा गया। जिस पर मेरे द्वारा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा से सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने जॉच रिपोर्ट की प्रति कुल किता 8 पृष्ठ मुझे उपलब्ध करवाई थी। उक्त पत्र एवं जॉच रिपोर्ट की फोटो प्रति आपके कार्यालय की पत्रावली परिवाद संख्यां 360/2019 में लगी हुई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत सतखण्डा की तत्कालीन सरपंच व सचिव को दोषी माना गया तथा ग्राम पंचायत कोष को 57 लाख रूपये की आय नहीं होने से पंचायत कोष को 57 लाख रूपये की हानि पंहुचाई गई। इसके अलावा मैंने उक्त शिकायत के साथ तीन पट्टों की रजिस्ट्रियों की फोटो प्रति भी संलग्न की थी जो आपकी पत्रावली में लगी हुई है। प्रथम रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री भंवर लाल पिता श्री मांगी लाल निवासी सतखण्डा के पट्टा संख्यां 51 बुक संख्यां 254 दिनांक 20.03.2013 की है। उक्त पट्टा दिनांक 20.03.2013 को जारी किया गया जबकि पट्टा धारक श्री भंवर लाल की मृत्यु दिनांक 20.04.2012 को हो चुकी थी। श्री भंवर लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आपकी पत्रावली में मौजूद है जो मेरे द्वारा शिकायत के साथ प्रेषित की गई थी । इस तरह उक्त पट्टा एवं उक्त पट्टे की करवाई गई रजिस्ट्री पूर्णतया फर्जी है क्योंकि पट्टा जारी करने के समय न तो वास्तविक पट्टा धारक जीवित था तथा न ही रजिस्ट्री दौरान जीवित था। उक्त पट्टे की फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 28.05.2013 को श्री भंवर लाल पिता श्री मांगी लाल के मिलते-जुलते नाम वाले गलत व्यक्ति श्री भंवर लाल पिता श्री मगनीराम दमामी के नाम करवाई गई थी। दूसरी रजिस्ट्री श्रीमति छोटी शाह पत्नी श्री पीरू शाह के नाम की है जिसकी फोटोप्रति आपकी पत्रावली में लगी हुई है। श्रीमति छोटी शाह के नाम आंवटित उक्त पट्टा निःशुल्क जारी किया गया था वो नियम विरूद्ध हैं एवं उसकी रजिस्ट्री करवाई गई जो भी नियम विरूद्ध है। इसी तरह तीसरी रजिस्ट्री श्री कन्हैया लाल पिता श्री गोकुलराम डांगी के नाम की है जिसकी फोटोप्रति आपकी पत्रावली में लगी हुई है। श्री कन्हैया लाल के नाम आंवटित उक्त पट्टा निःशुल्क जारी किया गया था वो नियम विरूद्ध हैं एवं उसकी रजिस्ट्री करवाई गई जो भी नियम विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सतखण्डा की तत्कालीन सरपंच श्रीमति शीला सुराणा एवं तत्कालीन सचिव श्री घनश्याम सिंह ने विकास अधिकारी एवं वार्ड पंच व अन्य ने आपस में मिली-भगत कर गलत पट्टे जारी किए गए तथा तत्कालीन तहसीलदार व अन्य से मिली-भगत कर नियम विरूद्ध रजिस्ट्रियां की गई जिसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही कर दोषियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाने का श्रम करावे।"

इसी तरह परिवाद की जॉच के क्रम में जॉच कमेटी के सदस्य श्री गणेश लाल शर्मा पुत्र श्री तारा चन्द जी शर्मा उम्र 61 साल निवासी मकान नम्बर 96 शांती नगर बस स्टेण्ड के पास निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ हाल सेवानिवृत्त एवं श्री प्रदीप कुमार गंगवानी पुत्र श्री आत्माराम जी गंगवानी उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 43 प्रताप नगर चित्तौडगढ़ हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ के कथन लेखबद्ध किए गए। दोनों गवाहान को परिवाद संख्यां 360/2019 की पत्रावली मे लगी जॉच रिपोर्ट दिखाने पर बताया कि इस जॉच रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर हमारे हस्ताक्षर किए हुए। उक्त जॉच कमेटी में श्री कैलाश चन्द्र भराड़िया सहायक लेखाधिकारी(प्रथम) एवं श्री प्रदीप गंगवानी, पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं श्री गणेश लाल शर्मा तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ हाल सेवानिवृत्त सदस्य थे। उपरोक्त दोनों गवाहान ने बताया कि हम तीनों जॉच कमेटी के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत सतखण्डा में जाकर रिकार्ड अनुसार जॉच कर तथा संबंधित के बयान लेकर जॉच रिपोर्ट तैयार कर जॉच रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे। जॉच रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त हमारे द्वारा दिनांक 31.01.2019 को अग्रेषण पत्र तैयार कर मूल जॉच रिपोर्ट श्रीमान् विकास अधिकारी, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ को प्रेषित की थी। जॉच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है कि हैं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ़ के आदेश क्रमांक विधि/16-5(सी) (2)/ 2018/693 दिनांक 14.10.2018 के अनुसार एस0बी0सिविल याचिका सं. 11614/2018 उनवान भैरू लाल रेगर बनाम राज्य सरकार में ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा आबादी भूमि खसरा नं0 838(पुराना खसरा नं0 920/1565) 5.06 हेक्टर अनुमानित 20 बीघा में अपात्र व्यक्तियों को निः शुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्ड आंवटन करने सम्बन्धित प्रकरण की जांच की तथा पाया गया कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं संबंधित व्यक्तियों के बयानो के आधार पर ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा पंचायती राज नियमो के विरूद्ध बिना नक्शा अनुमोदन कराये बिना व सरकारी कर्मचारियों के रिस्तेदारो एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये है । प्लान अनुसार अंकित आराजी में कोई भी भूखण्ड निलामी से विक्रय नही किये गये है । जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 141 के अनुसार "भूमि का विक्रय किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के माध्यम से किये जायेंगे जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हो ।" के निर्देष है किन्तु तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा नियमो से परे जाकर सभी भूखण्ड निःशुल्क एवं रियायती दर पर दिये गये है । जबकि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा निलाम किये जाते तो ग्राम पंचायत को उस समय की जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी द्वारा अनुमोदित आवासीय दरो अनुसार अनुमानित 57 लाख रूपये की आय हो सकती थी। जिससे ग्राम पंचायत को अनुमानित 57 लाख रूपये की राजस्व की हानि हुई है ।

इस प्रकार उपरोक्त परिवाद की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं जॉच रिपोर्ट की

प्रमाणित प्रति पर की गई जॉच के आधार पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालिन सरपंच श्रीमति शीला सुराणा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री घनश्याम सिंह द्वारा पंचायती राज नियमो के विरूद्ध बिना नक्शा अनुमोदन कराये बिना अपात्र व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारो एवं ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये है । प्लान अनुसार आबादी भूमि खसरा नं. 838 (पुराना खसरा नं0 920/1565) 5.06 हेक्टर अनुमानित 20 बीघा में कोई भी भूखण्ड निलामी से विक्रय नही किये गये है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 141 के अनुसार ''भूमि का विक्रय किसी पंचायत द्वारा भूमि के सभी विक्रय साधारणतया नीलाम के माध्यम से किये जायेंगे जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हो।'' के निर्देष है किन्तु तत्कालिन सरपंच श्रीमति शीला सुराणा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री घनश्याम सिंह द्वारा नियमो से परे जाकर सभी भूखण्ड निःशुल्क एवं रियायती दर पर दिये गये है। जबकि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत सतखण्डा के तत्कालिन सरपंच श्रीमति शीला सुराणा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री घनश्याम सिंह द्वारा निलाम किये जाते तो ग्राम पंचायत को उस समय की जिला स्तरीय दर निर्धारण कमेटी द्वारा अनुमोदित आवासीय दरो अनुसार अनुमानित 57 लाख रूपये की आय हो सकती थी। जिससे ग्राम पंचायत को अनुमानित 57 लाख रूपये की राजस्व की हानि हुई है।

इस प्रकार श्रीमति शीला सुराणा पत्नी श्री सुनील सुराणा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ एवं श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री फोज सिंह उम्र 68 वर्ष निवासी तेजाजी के मन्दिर के पास कुम्भा नगर चित्तौडगढ़, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ हाल सेवानिवृत द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों को दुरूपयोग कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 141 का उल्लघंन कर लाभार्थीगण व अन्यों से षडयन्त्र पूर्वक आपसी मिलीभगत कर राजकोष को लगभग 57,00,000/-रूपये की वित्तीय हानि पहुंचाना जांच एवं रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिया श्रीमति शीला सुराणा, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा एवं आरोपी श्री घनश्याम सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ हाल सेवानिवृत के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी), 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 एवं धारा 120 (बी) भा.द.स. में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (हरिश्चन्द्र सिंह)उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 120 (बी) भा.द.स. में आरोपियान 1-श्रीमति शीला सुराणा पत्नी श्री सुनील सुराणा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ एवं 2-श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री फोज सिंह उम्र 68 वर्ष निवासी तेजाजी के मन्दिर के पास कुम्भा नगर चित्तौडगढ़, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सतखण्डा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ हाल सेवानिवृत के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर-एस.यू. को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 290 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 356-61 दिनांक 17.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ़ 2- शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौडगढ 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद्, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या-360/2019) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/02/2026 16:06:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1983				
2	Male	1958				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)